कार्यालय केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय,गाजीपुर।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

न्यायपालिका, गाजीपुर के पश्चिमी प्रांगण में स्थित चाय, नमकीन ,मिठाई की दुकान नं0–2 की नीलामी इस वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए दिनांक 28.03.2016 को करायी गयी थी किन्तु नीलामी कर्ता श्री अंगद प्रसाद के लिखित अनुरोध पर इनकी नीलामी बोली को माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 05.04.2016 द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

अतएव सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस दुकान की नीलामी नियमानुसार पुनः दिनांक 16/04/2016 को सायं 4.00 बजे मुख्यालय पर स्थित दस कक्षीय न्यायालय के मुख्य सभागार में की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति निर्धारित समय एवं निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर बोली बोल सकते है।नीलामी शर्तें निम्नवत है :–

1– सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति की बोली स्वीकार की जायेगी, लेकिन साथ ही माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, गाजीपुर को किसी भी उच्च बोली को बिना कारण बताये सरसरी तौर पर अस्वीकृत करने का अधिकार सुरक्षित है।

2– बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व मु0 3,000/–की नकद धनराशि बतौर जमानत जमा करनी होगी।

3– सबसे अधिक बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा ठेका पर ली गयी दुकान की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

4– प्रत्येक दुकानदार को दुकान में मूल्य सूची लगानी होगी। दुकान तथा उसके आस–पास के स्थान को स्वच्छ रखना होगा। दुकान पर बिकने वाली समस्त खाद्य सामग्रियॉं ताजी एवं स्वच्छ होनी चाहिए। धूल एवं मक्खियो से बचाने हेतु खाद्य सामग्रियो को ढ़क कर रखना होगा, ऐसा न करने पर ठेका किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

5– जनपद न्यायालय के अधिकारियो एवं कर्मचारियो को वस्तुयें सामान्य बिकी की दर से कम मूल्य पर दी जायेगी, जिनकी दरे प्रभारी अधिकारी ,नजारत द्वारा निर्धारित की जायेगी।

6– प्रभारी अधिकारी, नजारत किसी भी समय किसी भी दुकान की जॉच कर सकते हैं। संबंधित दुकानों की जॉच करने का उनका अधिकार सुरक्षित हैं।

7– नीलामी की कार्यवाही होने के पश्चात प्रत्येक ठेकेदार को 25 प्रतिशत धनराशि अविलम्ब जमा कराना होगा तथा नीलामी बोली अनुमोदित होने के उपरान्त शेष 75 प्रतिशत धनराशि एक सप्ताह में जमा करना होगा।

8– जिन ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 अथवा इसके पूर्व के ठेके की शतप्रतिशत धनराशि जमा नही की गयी है, उसे वित्तीय वर्ष 2016–17 के ठेके में बोली बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6/4/16

दिनांक–06.04.2016

(रोहिताश सिंह गंगवार)
प्रधान न्यायाधीश,पारिवारिक न्यायालय/
प्रभारी अधिकारी, नजारत,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

06.04.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु प्राप्त करानां सुनिश्चित किया जाये :–

1– नोडल आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इसे माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं जनपद न्यायालय, गाजीपुर के बेवसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे।
2– नोटिस बोर्ड जिलाधिकारी, गाजीपुर।
3– नोटिस बोर्ड, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर।
4– नोटिस बोर्ड, अध्यक्ष, जिला परिषद, गाजीपुर।
5– नोटिस बोर्ड, जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर।
6– नोटिस बोर्ड, तहसीलदार ,सदर, गाजीपुर।
7– नोटिस बोर्ड, विकास भवन, गाजीपुर।
8– नोटिस बोर्ड, वाह्य न्यायालय, सैदपुर, गाजीपुर।
9– नोटिस बोर्ड, वाह्य न्यायालय, मु0बाद, गाजीपुर।
10– केन्द्रीय नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर।
11– समाचार पत्र तरूण मित्र में प्रकाशन हेतु।

6.4.16

(रोहिताश सिंह गंगवार)
प्रधान न्यायाधीश,पारिवारिक न्यायालय/
प्रभारी अधिकारी, नजारत,
जनपद न्यायालय, गाजीपुर।

06.04.2016